(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समक्षः डा0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 05–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–11–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 79/2012–13/अपील.

धर्मा पुत्र घन्सू जाति गड़रिया
निवासी – ग्राम नैनागिर तहसील
नरवर जिला शिवपुरी

——— आवेदक

विरूद्ध

1– नारायण सिंह
2– ओमकार सिंह पुत्रगण भवानी सिंह ठाकुर
निवासी – ग्राम नैनागिर
तहसील नरवर जिला –शिवपुरी

——— अनावेदकगण

श्री टी0सी0 नरवरिया अभिभाषक – आवेदक
श्री जे0एस0 भाटी अभिभाषक – अनावेदकगण

:: आदेश ::

(दिनांक 23 जनवरी 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 79/2012–13/अपील में पारित आदेश दिनांक 20–11–2012 के विरूद्ध म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2– इस प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नैनागिर पटवारी हल्का खड़ीचा तहसील नरवर जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे कमांक

1062 रकवा 1.00 है0 के व्यवस्थापन हेतु अनावेदकगण द्वारा एक आवेदन तहसील न्यायालय नरवर में प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार नरवर के आदेश दिनांक 3–12–96 से अनावेदकगण का व्यवस्थापन आवेदन स्वीकार किया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने दिनांक 31–12–05 को अपील अनुविभागीय अधिकारी करैरा के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी करैरा ने आदेश दिनांक 16–11–06 के द्वारा आवेदक की अपील समयबाधित होने से अस्वीकार की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 20–11–12 के द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 की कंडिका 30 के अधीन द्वितीय अपील का प्रावधान नहीं होने से अपील समाप्त की। अपर आयुक्त के आदेश के पश्चात यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि शासकीय सर्वे कमांक 1062 बहुत बडा क्षेत्रफल है, जिसमें प्रत्यर्थीगण द्वारा जानबूझकर आवेदक के आधिपत्य के क्षेत्रफल का व्यवस्थापन कराया जाना वर्णित किया है जबकि अनावेदकों को सर्वे कमांक 1022 की भूमि समर्पित करते हुये 1062 का व्यवस्थापन किये जाने का आदेश दिनांक 14–9–89 को पूर्व में कलेक्टर द्वारा किया गया था। परन्तु अनावेदकों द्वारा सर्वे कमांक 1022 को समर्पित किये बिना ही तहसील न्यायालय से सर्वे कमांक 1062 का व्यवस्थापन करा लिया, जो कि विधिसंगत न होकर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं। यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिंदू पर विचार नहीं कि प्रत्यर्थीगण भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते हैं व उनके पास लगभग 50 बीघा भूमि है। इस प्रकार अनावेदकगण व्यवस्थापन की पात्रता नहीं रखते हैं इसके बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण के नाम उक्त भूमि का व्यवस्थापन कर दिया। अपीलीय

न्यायालय द्वारा कानूनी बिन्दु पर विचार न कर समयावधि के तकनिकी बिन्दु पर निरस्त करने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सत्य न मानने में एक उचित स्पष्टीकरण न मानने में गंभीर कानूनी भूल की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि तहसील न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 3–12–96 से हुआ जिसके विरूद्ध लगभग 09 वर्ष विलम्ब से दिनांक 31–12–05 को अपील पेश की गई थी जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने समयावधि के बाहर होने से अस्वीकार की गई। यह भी तर्क दिया कि नकल व जानकारी दिनांक से भी अपील दो माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी जिसका कोई समाधानकारक प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपील अस्वीकार की गई। तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश उचित हैं। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 20–11–12 के द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 की कंडिका 30 के अधीन द्वितीय अपील का प्रावधान नहीं होने से अपील समाप्त की है। चूंकि राजस्व पुस्तक परिपत्र में द्वितीय अपील का प्रावधान नहीं है इसलिए अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्ष में किसी प्रकार की त्रुटि प्रकट नहीं होती है। तहसील न्यायालय के अभिलेख में संलग्न कलेक्टर शिवपुरी के प्रकरण कमांक 44/88–89/अ–59 में पारित आदेश दिनांक 14–9–89 की फोटोप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक नारायणसिंह की पूर्व में ग्राम नैनगिरी की भूमि सर्वे कमांक 1022 का (नया नम्बर) का पट्टा हुआ था परन्तु भूमि खेती योगय नहीं होने से सर्वे कमांक 1022 की भूमि समर्पित करते हुये सर्वे कमांक 1062

को काबिल कास्त घोषित किये जाने के आदेश दिये हैं, परन्तु तहसील न्यायालय के आदेश प्रश्नाधीन आदेश के अवलोकन से सर्वे कमांक 1022 के समर्पित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। तहसील न्यायालय द्वारा सर्वे कमांक 1022 को समर्पित किये जाने तथा भूमिहीन कृषक होने के सम्बन्ध में जांच किए बिना व्यवस्थापन किया। अनावेदक के भूमिहीन कृषक होने के सम्बन्ध में कोई जांच प्रतिवेदन भी तहसील न्यायालय के प्रकरण में नहीं है, जिसकी विधिवत जांच आवश्यक थी। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इन बिन्दुओं की जांच न कर समयावधि जैसे तकनीकी बिन्दु पर अपील का निराकरण करने में त्रुटि की है। यह भी उल्लेखनीय है कि सर्वे कमांक 1062 शासकीय भूमि है इसमें कोई विवाद नहीं है, अतः यदि आवेदक उसके किसी भाग पर अपना कब्जा बताता भी है तो भी उसे किसी प्रकार का स्वत्व नहीं मिलता तथा शासकीय भूमि होने के कारण किसी पात्र व्यक्ति को ही भूमि आबंटन किया जा सकता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 16–11–2006 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि समयावधि पर विचार न करते हुए अनुविभागीय अधिकारी केवल अनावेदक को शासकीय भूमि बंटन की पात्रता या पूर्व में अनावेदक को सर्वे नम्बर 1022 का पट्टा दिया गया तथा उसे समर्पित किया गया एवं बंटन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विचार करें तथा शासकीय अभिलेखों के सूक्ष्य निरीक्षण तथा आवश्यक होने पर पक्षकारें से साक्ष्य ग्रहण कर गुणदोषों के आधार पर अपील का निराकरण करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर